



2026:AHC:4578

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 3541, वर्ष 2025

रत्नेश
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : आशुतोष कुमार गुप्ता, भृगुराम जी, देव
ब्रत पांडे, नम्रता सेक्सैना
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-
 1. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 को यह आदेश दिया जाए कि वह यू.पी. राजस्व संहिता 2006 की धारा 30 के तहत, वेद संख्या 977/2021 कंप्यूटर केस संख्या D202105200000977 — 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रवि किशोर और अन्य' — का निर्णय निर्धारित समय सीमा के भीतर करे; क्योंकि यह मामला नक्शे में सुधार से संबंधित है और राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 444 (क) को ग्राम-मुंदरपुर, पांडेपुर, जिला-देवरिया में 'तालाब की भूमि' के रूप में दर्ज किया गया है।
 2. नक्शे में सुधार के लिए एक रिट, आदेश और निर्देश जारी किया जाए, जिसमें संबंधित प्राधिकारी / तहसीलदार, सदर को यह निर्देश दिया जाए कि वे उन निजी विपक्षी पक्षों के विरुद्ध अतिक्रमण को हटाएँ, जिसे वाद-पत्र में दर्शाया गया है।
2. इस जनहित याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30 के तहत मामले की कार्यवाही का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए।
3. अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि राज्य द्वारा यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30 के तहत कार्यवाही शुरू की जा चुकी है, जिसमें रवि किशोर और अन्य को विरोधी पक्ष बनाया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गया है; अतः, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30 के तहत चल रही कार्यवाही के निस्तारण की प्रार्थना वाली यह वर्तमान जनहित याचिका विचारणीय नहीं है।

4. इस मामले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. अतः, प्रस्तुत जनहित याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

8 जनवरी 2026

सी. प्रकाश

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"